



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13919

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 24355 वर्ष 2025

कृष्णा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

अशोक कुमार गुप्ता

विपक्षी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता, पी.के. सिंह

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. सूची को संशोधित किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर शपथ-पत्र (rejoinder affidavit) को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता के साथ तर्क प्रस्तुत कर रहे श्री अनिल श्रीवास्तव, मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.के. सिंह एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री संजीव सिंह (सहायता हेतु श्री सुनील कुमार, अपर शासकीय अधिवक्ता) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 354 वर्ष 2024, अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 352, 109, 103(1), 3(5) बी.एन.एस. (BNS), थाना- खंदौली, जिला- आगरा में जमानत पर रिहा करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन पक्ष का कथन:

4. आवेदक और छह अन्य नामित व्यक्तियों पर आरोप है कि उन्होंने दिनांक 08.10.2024 को प्रातः लगभग 09:55 बजे मुखबिर के पिता और चाचा पर हमला कर उनकी हत्या कर दी और दो व्यक्तियों, देवानंद और सरोज देवी को घायल कर दिया।

आवेदक की ओर से तर्क:

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) छह घंटे विलंबित है और इस विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य और सर्वव्यापी आरोप हैं। इस स्तर पर यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि मृतक या घायलों को चोट पहुंचाने का मुख्य उत्तरदायी कौन था। आवेदक से कोई बरामदगी नहीं हुई है, अतः वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. मुखबिर के साथ मृतक या घायलों का कोई भूमि विवाद नहीं था। विवाद, यदि कोई था, तो वह सह-अभियुक्त किताब श्री के साथ था। आवेदक दिनांक 05.11.2024 से जेल में निरुद्ध है और विचारण में सहयोग के लिए तैयार है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

राज्य/मुखबिर की ओर से तर्क:

7. पक्षकारों के बीच दीवानी वाद (civil suit) लंबित था और सह-अभियुक्त किताब श्री ने एक याचिका (Writ-C No. 244 of 2024) दायर की थी, जिसे इस न्यायालय ने 12.03.2024 को निस्तारित किया था। वर्तमान अपराध इस न्यायालय के उक्त आदेश के बाद किया गया है।

8. पक्षकारों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 107/111 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पाबंद किया गया था, जिसे आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों ने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत चुनौती दी थी। उस मामले में कार्यवाही पर रोक (stay) लगा दी गई थी।

9. यह एक स्पष्ट (open and shut) मामला है। यह दोहरे हत्याकांड का मामला है और दो व्यक्ति घायल भी हुए हैं। घायल व्यक्तियों ने स्पष्ट रूप से आवेदक और सह-अभियुक्तों को नामित किया है। आवेदक और सह-अभियुक्त एक ही वंशावली से हैं, अतः आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

निष्कर्ष:

10. इस न्यायालय ने विचारण की स्थिति (status of trial) मांगी थी। विचारण न्यायालय से प्राप्त दिनांक 05.11.2025 की रिपोर्ट के अनुसार, मुखबिर का मुख्य परीक्षण (examination-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



in-chief) 12.08.2025 को शुरू हुआ था लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा सका। अभियुक्तों के अधिवक्ताओं ने विचारण में देरी करने के इरादे से विभिन्न आवेदन दिए। विचारण न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि देरी के लिए अभियोजन पक्ष जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बचाव पक्ष ने विचारण को विलंबित किया है।

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभियुक्तों के अधिवक्ताओं द्वारा विचारण में देरी करने के आचरण तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह दोहरे हत्याकांड का मामला है जिसमें दो लोग घायल भी हुए हैं, मैं आवेदक को जमानत देने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं पाता हूँ। जमानत आवेदन गुण-दोष रहित पाया जाता है और तदनुसार **खारिज** किया जाता है।

12. हालांकि, यह निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई कानूनी बाधा न हो, तो विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले को उच्चतम न्यायालय द्वारा **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) SCC 220 और हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 SCC 702** के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में यथाशीघ्र निस्तारित किया जाए।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण तक सीमित हैं और विचारण के दौरान गुण-दोष पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

जनवरी 20, 2026

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version. not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।